

	आयुक्तालय, केंद्रीय माल व सेवा कर तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई मध्य का कार्यालय, OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CGST & CENTRAL EXCISE, MUMBAI CENTRAL, जीएसटी भवन, महिषी कर्वे मार्ग, चर्चगेट, मुंबई- 400 020 GST BUILDING, M. K. ROAD, CHURCHGATE, MUMBAI- 400 020	
---	--	---

परिपत्र सं. /2025

प्रतिष्ठा मे,

समस्त अपर/संयुक्त/उप एवं सहायक आयुक्त,
प्रधान मुख्य आयुक्त कार्यालय, सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र एवं
कें. मा. एवं से. क. तथा कें. उ. शु. , मुंबई मध्य
सभी मण्डल प्रभारी/समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी,
मुंबई मध्य, जीएसटी भवन, महिषी कर्वे मार्ग,
चर्चगेट, मुंबई- 400 020

विषय: विभागीय हिंदी पत्रिका - कन्हरी के द्वितीय अंक का प्रकाशन - रचनाओं एवं अन्य प्रकाशन सामग्री का संग्रहण - विषयक ।

महोदय/ महोदया,

कृपया विदित हो कि आयुक्तालय कें. मा. एवं से. क. तथा कें. उ. शु. , मुंबई मध्य, मुंबई क्षेत्र की प्रतिनिधि विभागीय गृह पत्रिका "कन्हरी" का त्रिभाषीय ई-प्रकाशन आगामी तिमाही में किया जाना प्रस्तावित है ।

2. आपसे अपेक्षित है कि आप अपने कार्यालय / मण्डल/ रेंज/ अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की स्वरचित, संकलित रचनाएं हिंदी / मराठी/ अंग्रेजी भाषा में आयुक्तालय के राजभाषा अनुभाग की ईमेल आईडी hindisectionmcentral@gmail.com पर यथाशीघ्र प्रेषित करें।

3. रचनाएँ/ प्रकाशन सामग्री निम्नानुसार प्रेषित की जा सकेंगी ।

- स्वनिर्मित प्रकाशन सामग्री स्वच्छ हस्तलिपि में अथवा टंकित होनी चाहिए ।
- विभागीय सूचनापरक आलेखों को प्राथमिकता दी जाएगी ।
- प्रस्तुत की गई रचनाओं का अनुमोदन माननीय आयुक्त सह प्रधान संपादक के विषयगत होगा ।
- कहानी, लेख, लघु नाटक, लघु एकांकी, कविता, गीत, यात्रा- वर्णन, संस्मरण, निबंध, साहित्यिक निबंध, हास्य रचना, बच्चों की पेंटिंग्स स्वनिर्मित/स्वरचित होंगी ।
- विभागीय आयोजनों की सचित्र सूचना आवश्यक विवरण सहित होनी चाहिए ।
- बच्चों अथवा पारिवारिक सदस्य द्वारा निर्मित चित्र/कथा/कविता उनके परिचय के साथ दी जाएँ ।

उपरोक्त के अनुपालन में कृपया दिनांक 14.11.2025 तक समुचित/उपयुक्त प्रकाशन सामग्री राजभाषा अनुभाग की ईमेल आईडी hindisectionmcentral@gmail.com पर अग्रेषित करें। प्राप्त रचनाएँ एवं अन्य सामग्री माननीय आयुक्त सह प्रधान संपादक के अनुमोदन के विषयगत होंगी ।

भवदीय
Manmohan Dheer
30-10-2025

(मनमोहन धीर)
सहायक निदेशक (राजभाषा)
के.मा. एवं से.क. तथा के.उ.शु., मुंबई मध्य

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. माननीय प्रधान मुख्य आयुक्त, सीजीएसटी मुंबई क्षेत्र को आवश्यक सूचनार्थ ।
आयुक्त, के. मा. एवं से. क. तथा के. उ. शु., मुंबई मध्य, मुंबई क्षेत्र को आवश्यक सूचनार्थ ।